भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय /MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं.2009/सिक.(स्पे) आरएसकेएन/जीबी नई दिल्ली, दिनांक 29.05.2019

निदेश सं.46 (संशोधित)

विषय: रेल सुरक्षक कल्याण निधि (आरएसकेएन) के अंतर्गत सहायता संवर्द्धन।

रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 की धारा 8 के साथ पठित (समय-समय पर यथा संशोधित) रे.सु.ब. नियमावली 1987 के नियम 28 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त विषय पर पिछले सभी अनुदेशों के अधिक्रमण में, आरएसकेएन के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं:-

1. **मृत्यु:**

क	सेवा के दौरान मृत्यु	₹ 1.5 लाख का एकमुश्त अनुदान
ख	विध्वसंकारी/असामाजिक तत्वों के साथ मुठभेड़ के कारण मृत्यु	₹ 5 लाख का एकमुश्त अनुदान

2. **ड्यूटी के समय अपंगता अथवा अन्य किसी प्रकार की निशक्तता के कारण अमान्यता:**
   ₹ 1 लाख

3. **ड्यूटी से इतर कारणों से निशक्तता:**
   ₹ 50,000/-

4. **आवधिक चिकित्सा जांच के कारण विकोटिकरण (केटेगरी में परिवर्तन):**

आमतौर पर कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। बहरहाल, किसी सदस्य को पूरी तरह से अनफिट घोषित किए जाने पर, उसके आश्रित को ₹ 50,000/- की एकमुश्त राशि दी जा सकती है।

5. **अन्तयेष्टि व्यय:**

मृत्यु के प्रत्येक मामले में ₹ 20,000/-

6. **विपत्ति सहायता कोष (वीएसके):**

क्षेत्रीय रेलवे प्रबंधन समिति	₹ 1,00,000/- तक
निधि मुख्यालय प्रबंधन समिति	₹ 2,00,000/- तक
प्रत्येक मामले में कुल दो लाख रुपए मात्र तक (₹ 2,00,000/- तक)	

- विपत्ति सहायता कोष के अंतर्गत सहायता प्रदान करने का उद्देश्य बल के कार्मिकों/उनके परिवार के सदस्यों को गंभीर बीमारी, टर्मिनल रोग, अस्पताल में भर्ती होने आदि के कारण होने वाली विपत्ति को कम करना है।

- विपत्ति सहायता कोष के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर समय-समय पर जारी किए गए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार मामला-दर-मामला आधार पर निर्धारित किए जाएं। बहरहाल, विपत्ति सहायता कोष के अंतर्गत वित्तीय सहायता की स्वीकृति देने का अंतिम निर्णय प्रबंधन समिति के पास ही होगा।

- विपत्ति सहायता कोष के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के लिए सभी आवेदनों पर प्रारंभ में ज़ोनल स्तर/आरपीएसएफ की प्रबंधन समिति द्वारा विचार किया जाएगा। क्षेत्रीय स्तर/ रे.सु.वि.ब.(आरपीएसएफ) पर प्रबंधन समिति की ₹1,00,000/- की क्षेत्रीय रेल की सीमा समाप्त होने के बाद और कर्मचारी को एक लाख रुपए की क्षेत्रीय रेल की सीमा से अधिक की वित्तीय सहायता की जरूरत होने के मामले में विपत्ति सहायता कोष के अंतर्गत अतिरिक्त वित्तीय लाभ पर विचार करने के लिए ऐसे मामले क्षेत्रीय रेल की प्रबंधन समिति द्वारा निधि मुख्यालय को अग्रेषित किए जाएंगे।
- इन बीमारियों की निर्देशात्मक सूची **अनुलग्नक 'क'** के रूप में संलग्न है।

7. अनुग्रह राशि:

अनुग्रह राशि	सेवा अवधि	राशि
सेवानिवृत्ति, मृत्यु अथवा सेवा से निष्कासन/ बर्खास्त करना	पांच वर्ष से कम सेवा (केवल मृत्यु होने पर)	₹ 2,000/-
	5 से 10 वर्ष की सेवा	₹ 5,000/-
	10 से 20 वर्ष की सेवा	₹ 10,000/-
	20 से 30 वर्ष की सेवा	₹ 15,000/-
	30 से अधिक वर्ष की सेवा	₹ 20,000/-

- कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उसके निकट आश्रित को एकमुश्त अनुदान दिए जाने पर अनुग्रह राशि स्वीकार्य नहीं होगी।

8. **शैक्षिक सहायता:**

सदस्यों के 1200 मेधावी आश्रितों को मेरिट छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त (पीसीएससी) उन मेधावी आश्रितों की एक सूची तैयार करें और उन्हें आबंटित की गई छात्रवृत्ति की संख्या तक छात्रवृत्ति प्रदान करें। छात्रवृत्ति पर विचार किए जाने हेतु न्यूनतम अर्हता अंक 60 प्रतिशत हैं।

8.1 **छात्रवृत्ति की राशि, अवधि, ज़ोन-वार आबंटन और छात्रवृत्ति का अनुपात:**

कक्षा	छात्रवृत्ति की राशि
10+2 अध्ययन हेतु **(11वीं/12वीं हेतु)**	₹ 5,000/- प्रति वर्ष (2 वर्ष हेतु)
12वीं से आगे अध्ययन हेतु	₹ 7,500/- प्रति वर्ष (पाठ्यक्रम की अवधि के अनुसार)

8.2: मेडिकल और तकनीकी पाठ्यक्रम प्राप्त करने वाले आश्रितों के पाठ्यक्रम की अवधि अर्थात मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए 5 वर्ष और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए 4 वर्ष की अवधि के अनुसार मेरिट छात्रवृत्ति योजना भी उपलब्ध रहेगी।

8.3: इन 1200 छात्रवृत्तियों का ज़ोन-वार वितरण **अनुलग्नक 'ख'** के रूप में संलग्न है।

8.4 **छात्रवृत्तियों का अनुपात**: 10+2 और 12वीं प्लस के बीच छात्रवृत्तियों का अनुपात 70:30 होगा, जो निम्नानुसार है:

- 10+2 अध्ययन (11वीं/12वीं हेतु) हेतु छात्रवृत्तियों की संख्या- 840 छात्रवृत्तियां
- स्नातक डिग्री (12वीं से आगे अध्ययन) हेतु छात्रवृत्तियों की संख्या- 360 छात्रवृत्तियां

8.5 आरपीएफ/आरपीएसएफ कार्मिकों के केवल 2 आश्रितों तक ही मेरिट छात्रवृत्ति स्वीकार्य होगी।

9. **सदस्यता और अंशदान**:

(i) प्रवेश शुल्क	एंसीलरी रैंक से सहायक उप निरीक्षक	₹ 1,000/-
	उप निरीक्षक एवं निरीक्षक	₹ 2,000/-
	सहायक सुरक्षा आयुक्त से वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त	₹ 3,000/-
	उप महानिरीक्षक, महानिरीक्षक, अपर महानिदेशक, महानिदेशक	
(ii) वार्षिक अंशदान		
प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई माह में दो किश्तों में काटा जाएगा	एंसीलरी रैंक से सहायक उप निरीक्षक	₹ 800/-
	उप निरीक्षक एवं निरीक्षक	₹ 1,200/-
	सहायक सुरक्षा आयुक्त से वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त	₹ 2,000/-
	उप महानिरीक्षक से महानिदेशक	₹ 2,400/-

नोट: मौजूदा पद्धति के अनुसार, आरएसकेएन की सदस्यता सभी सेवारत आरपीएफ/ आरपीएसएफ कार्मिकों के लिए अनिवार्य है।

10. **दिव्यांग आश्रितों को शैक्षिक सहायता**:
बल कार्मिकों के दिव्यांग आश्रितों की 12वीं कक्षा तक शिक्षा पूरी होने पर प्रति माह ₹ 500/- और स्नातक डिग्री तक प्रति माह ₹1,000/- की मासिक शिक्षा सहायता दी जाएगी। निशक्तता का मानदंड 50 प्रतिशत और उससे अधिक होना चाहिए तथा क्षेत्रीय रेलवे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए।

11. **निधि मुख्यालय को विप्रेषण**:

11.1 क्षेत्रीय रेलों द्वारा कर्मचारियों से केवल 10 प्रतिशत अंशदान वसूल किया जाएगा और इसे निधि मुख्यालय को विप्रेषित किया जाएगा।

11.2 क्षेत्रीय रेलों को अंशदान की 10 प्रतिशत राशि का विप्रेषण सुनिश्चित करना होगा और निधि की प्रतिपूर्ति के लिए निधि मुख्यालय को अनुरोध करने से पहले फायर्ड एम्पटी कार्टरिज (75 प्रतिशत) की बिक्री सुनिश्चित करनी होगी।

11.3 क्षेत्रीय रेलों/आरपीएसएफ में आरपीएफ/आरपीएसएफ कैंटीनों द्वारा अर्जित 8 प्रतिशत अधिशेष राशि निधि मुख्यालय को विप्रेषित की जाएगी।

11.4 इस प्रकार के सभी लेन-देन आरटीजीएस/एनईएफटी के जरिए किए जाएंगे।

11.5 क्षेत्रीय रेलों की ओर से निधि मुख्यालय को राशि का समय पर विप्रेषण सुनिश्चित किया जाएगा (i) जनवरी एवं जुलाई माह में सदस्यों से अंशदान प्राप्त होने के तत्काल बाद और (ii) अप्रैल माह में वित्त वर्ष समाप्त होने के तत्काल बाद (कैंटीन अधिशेष के मामले में)।

12. **सामूहिक पुरस्कार का संवितरण:**

आरएसकेएन सरकारी निकाय बैठक 2009 में यथा निर्धारित, माननीय मंत्रियों द्वारा स्वीकृत सामूहिक पुरस्कारों (₹ 1 लाख से अधिक) का संवितरण निम्नानुसार किया जाएगा:

25 प्रतिशत राशि कर्मचारियों में वितरित की जाएगी।
75 प्रतिशत राशि आरएसकेएन/निधि मुख्यालय में जमा कराई जाएगी।

13. **सब्सिडिएरी कैंटीन खोलना:**
प्रत्येक मंडल/बटालियन को सेंट्रल पुलिस कैंटीन (सीपीसी) के अंतर्गत सब्सिडिएरी कैंटीन खोलने के लिए आरएसकेएन से पांच लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकार्य होगा। इस ब्याज मुक्त ऋण को ब्याज मुक्त ऋण देने की तारीख से 3 वर्ष के भीतर वापस करना होगा।

14. क्षेत्रीय रेलों के ई-सुविधा सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आरएसकेएन सहायता के बारे में सूचना दर्ज करने के लिए एक कॉलम बनाया जाएगा।

15. क्षेत्रीय रेल के पास उपलब्ध अधिशेष निधि को अतिरिक्त निधि पर ब्याज अर्जन के लिए फ्लेक्सी डिपॉजिट अकाउंट/एफडीआर में परिवर्तित किया जा सकता है। संघ के सशस्त्र बल की कल्याण निधि होने के नाते आरएसकेएन आयकर अधिनियम की धारा 10 (23एए) के अंतर्गत कर देयताओं से छूट प्राप्त है।

16. क्षेत्रीय रेलों द्वारा आरएसकेएन की वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना होगा ताकि तदनुसार तत्काल ही कर संबंधी लाभ उठाए जा सकें।

17. संबंधित पीसीएससी ज़ोनल स्तर पर आरएसकेएन की प्रबंधन समिति में विभिन्न रैंक में बल के सदस्यों को समाविष्ट कर सकते हैं। बहरहाल, जहां तक आरएसकेएन समिति में आरपीएफ एसोसिएशन के सहयोगित प्रतिनिधियों का संबंध है, इसके लिए बोर्ड के दिनांक 03.04.2019 के पत्र सं.2010/सिक.(स्पे)/6/1 के तहत जारी किए गए स्पष्टीकरण प्रभावी होंगे ।

18. सभी आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मचारियों को आरएसकेएन के अंतर्गत मिलने वाले लाभ के बारे में अवगत कराया जाए।

29/5/19

(अरुण कुमार)
महानिदेशक/रेल सुरक्षा बल

प्रतिलिपि:
प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/आरपीएफ, सभी क्षेत्रीय रेलें, आईसीएफ, केआरसीएल, कोर, निर्माण, आरपीएसएफ और आरडीएसओ।
निदेशक/ जेआर आरपीएफ अकादमी, लखनऊ और मौला अली।

अनुलग्नक 'क'

<u>रोगों की सूची</u>

1. असाध्य रोग (दैनिक कार्यों को प्रभावित करने वाले सभी प्रकार के कैंसर)
2. जन्मजात विसंगतियां जैसे - पेशेन्ट एरिरियो - शिरापरक विकृति/क्रेनियोफेशियल डिफेक्ट, भंग तालु/होंठ/अन्य जन्मजात विसंगतियां/ आनुवंशिक विकार।
3. गुर्दे का रोग - एक्यूट रीनल फेलियर, एंड स्टेज किडनी रोग, डायलीसिस, ट्रांसप्लांट आदि।
4. स्वास्थ्य संबंधी रोग - सामान्य फंक्शन को प्रभावित करते हैं, पेसमेकर, बाईपास आदि।
5. अवकुंचन के साथ गंभीर बर्न इंज्यूरी आदि।
6. यकृत (लीवर) संबंधी रोग - एक्यूट हेपेटाईटिस, सिरोसिस, लीवर ट्रांसप्लांट, अन्य स्थायी लीवर रोग आदि।
7. एड्स और अन्य संबंधित विकार
8. केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकार - मानसिक मंदता/ प्रमस्तिष्क पक्षाघात/ सीवीए ब्रैन हेमरज/ हाईड्रोसेफलस/ब्रेन ट्यूमर/मेनिन्जाइटिस आदि।
9. नेत्र संबंधी रोग - ग्लॉकोमा, रेटिनल डीटैचमेंट/मोतियाबिंद आदि।
10. संक्रामक रोग - बहु दवा प्रतिरोधी तपेदिक / गैंग्रीन/ कुष्ठरोग/ एसएआरएस/ फाल्सीपेरम मलेरिया कॉम्पलीकेशन/एच1एन1 सीवीयर इन्फ्लूएंजा/ डेंगू रक्तस्रावी बुखार आदि।
11. स्नायु (न्यूरॉन) संबंधी समस्याएं - मोटर न्यूरॉन रोग आदि।
12. रुधिर (हेमटोलॉजिकल) संबंधी रोग जैसे थैलासीमिया मेजर/ विभिन्न ब्लड कैंसर आदि / क्लोटिंग डिसॉर्डर।
13. श्रवण संबंधी विकार - दोनों कानों से सुनाई न देना/ चक्कर आना
14. हड्डी संबंधी रोग - सड़क दुर्घटना के कारण गंभीर रोग / ज्वांइट रिप्लैसमेंट आदि।

अनुलग्नक 'ख'

क्र.सं.	रेलवे	प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या
1	मध्य	89
2	पूर्व	141
3	पूर्व मध्य	65
4	पूर्व तट	38
5	उत्तर	122
6	उत्तर मध्य	50
7	पूर्वोत्तर	58
8	पूर्वोत्तर सीमा	74
9	उत्तर पश्चिम	36
10	दक्षिण, सडिका सहित	75*
11	दक्षिण मध्य	55
12	दक्षिण पूर्व	91
13	दक्षिण पूर्व मध्य	29
14	दक्षिण पश्चिम	27
15	पश्चिम मध्य	30
16	पश्चिम	86
17	आरपीएसएफ	134

* दक्षिण रेलवे के लिए निर्धारित 75 छात्रवृत्तियों में से, 8 छात्रवृत्तियां सडीका (आईसीएफ) को आबंटित की गई हैं।

214

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

2009/Sec (Spl)RSKN/GB New Delhi, Dated: 10.04.2019

Directive No. 46 (REVISED)

Sub: Enhancement of assistance under Rail Surakshak Kalyan Nidhi (RSKN).

In exercise of the powers conferred under Rule 28 of the RPF Rules, 1987 (as amended from time to time) read with Section 8 of the RPF Act, 1957 (as amended from time to time) and in supersession of all the earlier instructions on the above subject, following guidelines are issued with respect to grant of assistance under RSKN-

1. Death:

A.	Death while in service	Lump sum grant of rupees one lakh and fifty thousand only (Rs.1.5 lakhs only)
B.	Death due to encounter with subversive/antisocial elements	Lump sum grant of rupees five lakhs only (Rs. 5 lakhs only)

2. Invalidation by maiming or any other kind of disablement in the course of duty:

- Rupees one lakh only (Rs. 1 lakh only).

3. Disablement for causes other than duty:

- Rupees fifty thousand only (Rs. 50,000/- only).

4. De-categorization due to Periodical Medical Examination:

- No benefit shall be given normally. However, when a member is declared completely unfit for all categories, a lump sum amount of rupees fifty thousand only (Rs. 50,000/- only) may be given to the staff.

5. Funeral Expenses:

- Rupees twenty thousand only (Rs. 20,000/- only) in each case of death.

6. **Vipatti Sahayata Kosh (VSK):**

Zonal Railway Managing Committee	Up to rupees one lakh only (upto Rs.1,00,000/- only)
Managing Committee at Nidhi HQ	Up to rupees two lakh only (upto Rs. 2,00,000/- only)
Total upto rupees two lakh only in each case (Rs. 2,00,000/- in each case)	

- The purpose of grant of assistance under Vipatti Sahayata Kosh is to alleviate distress among Force personnel/ their family members due to serious illness, terminal disease, hospitalization, etc.

- Applications under Vipatti Sahayata Kosh may be decided on case to case basis as per extant guidelines issued from time to time. However, final decision for sanction of financial assistance under VSK shall rest with Managing Committee.

- All applications for grant of assistance under VSK shall be initially considered by Managing Committee at zonal level/RPSF. Only when Managing Committee at zonal level/RPSF has exhausted the zonal limit of Rs. 1,00,000/-, and in case it is of the opinion that staff needs financial assistance beyond zonal limit of rupees one lakh, such cases may be forwarded by Managing Committee of the zone to Nidhi HQ for consideration of additional financial benefits under VSK.

- Indicative list of diseases is enclosed as **Annexure 'A'**.

7. **Ex-gratia:**

Ex-gratia	**Length of service**	**Amount**
On retirement, death or dismissal/removal from service	Below five years of service (only in case of death)	Rs. 2,000/-
	5 to 10 years of service	Rs. 5,000/-
	10 to 20 years of Service	Rs. 10,000/-
	20 to 30 years of service	Rs. 15,000/-
	Above 30 years of service	Rs. 20,000/-

- Ex-gratia amount will not be admissible in cases where lump-sum grant has been given to next of kin of staff who has died while in service.

8. **Educational Assistance:** Merit scholarship shall be available to 1200 meritorious wards of the Members. PCSCs may draw a list of the meritorious wards and grant the scholarship to the number of scholarships allotted to them. Minimum eligibility marks for consideration of scholarship shall be 60%.

8.1 Amount of scholarship, duration, zone-wise allotment and ratio of scholarship:

CLASS	AMOUNT OF SCHOLARSHIP
For 10+2 studies **(for 11th / 12th)**	Rs. 5,000/- per annum (for 2 years)
For 12 plus studies	Rs. 7,500/- per annum (as per duration of course)

8.2 Merit Scholarship scheme shall also be available to such wards who are undergoing Medical and Technical courses as per duration of these courses i.e. 5 years for medical courses and 4 years for technical courses.

8.3 The zone wise distribution of the 1200 scholarships is enclosed as '**Annexure B**'.

8.4 **Ratio of scholarships:** Ratio of scholarship in between 10+2 and 12th plus shall be in the ratio of 70:30 as under -

- Number of scholarship for 10+2 (for 11th / 12th): – 840 scholarships
- Number of scholarship for Bachelor (for 12 plus studies): – 360 scholarships

8.5 Merit scholarship shall be admissible to only two wards of RPF/RPSF personnel.

9. Membership & Subscription:

(i) Admission fee	Ancillary to ASI	Rs. 1,000/-
	SI to IPF	Rs. 2,000/-
	ASC & Above	Rs. 3,000/-
	DIG, IG, ADG and DG	
(ii) Annual Subscription		
To be deducted in two installments in the month of January & July each year.	Ancillary to ASI	Rs. 800/-
	SI to IPF	Rs. 1200/-
	ASC/SC/Sr. SC	Rs. 2,000/-
	DIG to DG	Rs. 2,400/-

NOTE: As per continued practice, membership of RSKN is compulsory for all serving RPF/RPSF personnel.

10. Educational assistance to handicapped wards:

Monthly educational assistance of Rs. 500/- per month shall be admissible to the handicapped wards of Force personnel for their education till completion of 12th standard and Rs. 1,000/- per month for Bachelor Degree. The criterion shall be disability of 50% and above certified by the Zonal Railway Medical authority.

11. Remittance to Nidhi HQ:

11.1 Only 10% of the subscriptions collected from the staff by zonal railways shall be remitted to Nidhi HQ.

11.2 Zonal Railways shall ensure remittance of 10% of the subscription and also remittance of sale proceeds of fired empty cartridges (75%) before making any request to Nidhi HQ for recoupment of their fund.

11.3 8% of surplus generated by RPF/RPSF Canteens over Zonal Railways/ RPSF is to be remitted to Nidhi/HQ.

11.4 All transactions shall be done by way of RTGS/NEFT.

11.5 Zonal Railways to ensure timely remittance of share of Nidhi HQ (i) immediately after collection of subscription from members in the months of January & July and (ii) immediately after end of financial year in the month of April (in case of canteen surplus).

12. Disbursal of group rewards:

As decided in RSKN Government Body Meeting 2009, disbursal of group rewards sanctioned by Hon'ble Ministers (above Rs. 1 lakh) will be as under-

25% to be distributed among staff
75% to be deposited in RSKN/Nidhi HQr.

13. Opening of Subsidiary Canteen:

Interest free loan of rupees five lakhs will be admissible to each Division/Battalion from RSKN for opening up of Subsidiary Canteens under Central Police Canteen (CPC). The interest free loan will be returnable within 3 years from the date of disbursal of the interest free loan.

14. A column for entering information regarding RSKN assistance may be provided under E-Suvidha software of zonal railways.

15. Excess fund available with zones may be converted into Flexi Deposit Accounts / FDRs for earning interest on the spare funds. Being welfare fund of an Armed Force of the Union, RSKN is exempted from tax liabilities under section 10 (23AA) of Income Tax Act.

16. Zonal Railways to ensure timely submission of Annual Audit Reports of RSKN immediately Tax benefits may be availed accordingly.

17. It is upto the PCSC concerned to incorporate members of the force in different ranks in the Managing Committee of RSKN at the Zonal level. However, as regards coopting representatives of RPF Associations in the RSKN Committee, clarification issued vide Board's letter No. 2010/Sec(Spl)/6/1 dated 3.4.2019 will prevail.

18. Benefits under RSKN may be widely circulated among all the RPF/RPSF personnel.

Hindi translation of the Directive No. 46 (Revised) will follow.

10/4/19

(Arun Kumar)
Director General/RPF

Copy to:

Principal Chief Security Commissioners/RPF, all Zonal Railways, ICF, KRCL, CORE, Const., RPSF and RDSO.

Directors/ JR RPF Academy, Lucknow and Maula Ali.

O/c
Recd - at 15.32
10.4.19

ANNEXURE 'A'

List of Diseases

1. Malignancy (Cancer all types affecting normal day to day working)
2. Congential Anomalies as – Patient arerio – venous malformation/ Craniofacial defects, Cleft palate / lip / other congineal disorder / genetic disorder.
3. Renal disease- Acute renal failure, End stage kidney disease, Dialysis, transplant etc.
4. Health Disease – affecting normal function, Pacemaker, Bypass etc.
5. Serious burn injury with contracture etc.
6. Liver Disease – Acute hepatitis, Cirrhosis, Liver Transplant, other chronic liver disease etc.
7. AIDS and other related disorders
8. Central Nervous System diseases – Mental retardation/ cerebral palsy/ CVA brain hemorrhage/ Hydrocephalus / tumors of brain / Meningitis etc.
9. Ophthalmological conditions – Glaucoma, Retinal detachment / Cataract etc.
10. Infectious Disease – Multi drug resistant Tuberculosis / Gangrene / Leprosy / SARS / Falcuparum malaria complications/ H1N1 Severe influenza / Dengue hemorrhagic fever etc.
11. Neuron problems – Motor neuron disease etc.
12. Hematological disease as Thalasaemia major / Various blood cancer etc. / Clotting disorders.
13. Hearing disorder – Bilateral profound deafness / severe vertigo
14. Orthopedic – Road traffic accidents – resulting in grievous disease / joint replacement etc.

ANNEXURE 'B'

S. No.	Railway	No. of scholarships to be granted
1.	Central	89
2.	Eastern	141
3.	East Central	65
4.	East Coast	38
5.	Northern	122
6.	North Central	50
7.	North Eastern	58
8.	Northeast Frontier	74
9.	North Western	36
10.	Southern including ICF	75*
11.	South Central	55
12.	South Eastern	91
13.	Southeast Central	29
14.	South Western	27
15.	West Central	30
16.	Western	86
17.	RPSF	134

*Out of the 75 scholarships earmarked for SR, 8 scholarships are allotted for ICF.